न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 55/2024(GCMS 2024/194)
(आरटीआई संख्या 212268841409663)

श्री गुरसेब सिंह ग्रेवाल, ग्राम अमरपुरा जाटान वाया सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर मोबाईल नं. 99825–85071

बनाम

तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.10.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गुरसेब सिंह ग्रेवाल स्वयं उपस्थित हुए। अपीलार्थी को सुना गया। अपीलार्थी ने कथन किया कि उसने तहसीलदार, सूरतगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.07.2024 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो तहसीलदार, सूरतगढ़ ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी गुरसेब सिंह ग्रेवावल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.07.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

मैनें माह जून के प्रथम सप्ताह में मेरे खरीदशुदा खातेदारी मु.न. 155/55 में (इस में किला नं. 6, 15, 16 किसी अन्य के है) वर्षों पहले लगाये सैंकडों पेड़ों में से कुछ पेड़ काटने की योजना बनाई। इसकी भनक लगते [illegible] कार्यलय में शिकायत की गई है, जैसा कि [illegible] है।
कृपया इस [illegible] आपके कार्यलय [illegible] की गई कार्यवाही/जांच की नकल उपल[illegible] कराई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:43:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक राजस्व/आरटीआई 2024/1129 दिनांक 13.08.2024 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

> **उक्त विषयान्तर्गत** आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.07.2024 (प्राप्त दिनांक 16.07.2024) में वांछित दस्तावेज 2 पृष्ठ में है। अतः आप किसी भी कार्यालय दिवस में राशि 4/– भारतीय पोस्टल ऑर्डर/नियमानुसार के रूप में (तहसीलदार, सूरतगढ़ के नाम देय) जमा करवाकर वांछित नकल प्राप्त कर सकते है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर है।
>
> -sd-
> तहसीलदार (राजस्व)
> सूरतगढ़

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ ने अपने पत्रांक 1129 दिनांक 13.08.2024 से अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है **जो** सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी वांछित सूचनाओं हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानुसार राशि राजकोष जमा करवा देवें तो उसे नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:43:55 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर